

कॉन्ट्रोल नंबर - 2/22/004

पत्र सं०/२/ /जी०एस०टी० ऑडिट अनुभाग/2021-22/ /वाणिज्य कर।
कार्यालय:-कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,
(जी०एस०टी० ऑडिट अनुभाग)


लखनऊ: दिनांक: १6 अप्रैल, 2021

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (टैक्स ऑडिट)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय:-वर्तमान में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जी०एस०टी० ऑडिट की प्रक्रिया में
व्यापारी की जांच को अग्रिम निर्देशों तक स्थगित रखने के संदर्भ में।

विदित है कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में व्यापारियों का ऑडिट किया जाना व्यापारी /विभागीय अधिकारियों के स्वास्थ्य के दृष्टिगत प्रासंगिक नहीं होगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अग्रिम निर्देशों तक ऑडिट की प्रक्रिया में व्यापारी की जांच को स्थगित रखा जाये तथा किसी भी मामले में ADT 01 जारी न किया जाये। जिन मामलों में ADT 01 पूर्व में ही जारी है, उसमें भी कोई कार्यवाही अग्रिम निर्देशों तक स्थगित रखी जाये। ऑडिट हेतु चयनित व्यापारियों के संबन्ध में ADT 01 जारी किये जाने से पूर्व किये जाने वाली कार्यवाही पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार संपादित की जाती रहेगी।


(मिनिस्ती एस०)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।